प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – तोली

तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅ्या पौड़ी से तोली ग्वालगॉव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (**2.975 हे0** राज्य/सिविल सोयम भूमि मलुवानिस्तारण सहित, **3.600 हे0** नाप भूमि, **0.900 हे0** हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नही एवं भू–अभिलेखों में अंकित नही भूमि अर्थात कुल **3.875 हे0** वन भूमि का निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पयॅ्यापौड़ी एवं तोली द्ववालगांव द्वारा दिनांक 5-1-20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– | **ह0/–** गोविन्दी बोरा

ग्राम सचिव | **ग्राम प्रधान**

(मुहर: प्रधान, ग्राम पंचायत तोली, धारचूला)

C:\Users\ASHU\Documents\vanbhumi dharchula\TOLY_DWAL\Toli_gwalg

प्रपत्र--23.1

दिनांकः--5-1-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः-- पैंया/पौड़ी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आलमसिंह	[illegible]
2	रमेश सिंह	[illegible]
3	विक्रम राम	[illegible]
4	लक्ष्मणसिंह	[illegible]
5	थेकासिंह	[illegible]
6	देव सिंह रैखोला	[illegible]
7	देवसिंह बाफा	[illegible]
8	मोहनसिंह	[illegible]
9	उदय सिंह	[illegible]
10	विक्रमसिंह	[illegible]
11	शेर सिंह बाफा	[illegible]
12	दुर्गासिंह	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	विशनसिंह	[illegible]
15	मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
16	ललित सिंह	[illegible]
17	भूपाल सिंह बाफा	Bhupat
18	टिकेन्द्र सिंह	टिकेन्द्र सिंह
19		
20		
21		
22		

ह0/- [illegible]

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांकः–5-1-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– तौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह सामन्त	[illegible]
2	अमर सिंह	[illegible]
3	हयात सिंह नेगी	Hayat Singh
4	प्रेम प्रकाश पैंतोला	[illegible]
5	भुवन चन्द्र पैंतोला	[illegible]
6	दमयन्ती पैंतोला	[illegible]
7	नारायण सिंह नेगी	[illegible]
8	रोहित चन्द्र पैंतोला	[illegible]
9	नीतू पैंतोला	[illegible]
10	कमल सिंह	Kamal
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	मदन सिंह	मदन सिंह
13	देवेन्द्र सिंह कार्की	[illegible]
14	प्रह्लाद सिंह सामन्त	प्रह्लाद सिंह
15	धनीराम जी	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17		
18		
19		
20		
21		
22		

05-01-2020

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –

तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई 7.750 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 3.875 है0 सिविल सोयम भूमि, ... 2.50 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 3.875 है0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत बैड़ा द्वारा दिनांक 5-01-20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पैय्यापौड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅ्यापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि0मी0) (**2.975 हे0** राज्य/सिविल सोयम वन भूमि मलुवानिस्तारण सहित, **3.600 हे0** नाप भूमि, **0.900 हे0** बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नही एवं भू–अभिलेखों में अंकित नही भूमि अर्थात कुल **3.975 हे0** वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 29-2-20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ए. के. शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ए0के शुक्ला उपजिलाधिकारी —— धारचूला ——अध्यक्ष
2– श्री ————उप प्रभागीय वनाधिकारी—— पिथौरागढ़ ——सदस्य
3– श्री नवीन नगन्याल ~~कुलदीप भट्ट~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी—— [signature] ——सदस्य/सचिव
4– श्रीमती लक्ष्मी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र —— 14-जुम्मा ——सदस्य
4– श्री प्रेम सिंह नगन्याल बी0डी0सी0 क्षेत्र —— दुग्तू ——सदस्य
4– श्री मनोज सिंह ग्वाल बी0डी0सी0 क्षेत्र —— 07 बौन ——सदस्य

[signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅ्यापौड़ी से तोली ग्वालगॉव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि0मी0) परियोजना हेतु **2.975** हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का द्वावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या **1119**/201**5** के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅ्यापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य (लम्बाई 7.750 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु **2.975 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला
जनपद – पिथौरागढ़।

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा उत्तर
वि0ख0- धारचूला

[signature]
प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि0ख0-धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्येया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

जिला स्तरीय समिति,पिथौरागढ़।

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्येयापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.750 किमी0 (**2.975 हे0** राज्य/सिविल भूमि मलुवानिस्तारण सहित, **3.600 हे0** नाप भूमि, **0.900 हे0** हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नही एवं भू–अभिलेखों में अंकित नही भूमि अर्थात कुल 3.975 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला–पिथौरागढ़) की दिनांक 19.01.21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– श्री डा0 विनय भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
3– श्री विद्यासागर [illegible] समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
4– श्री Suresh Singh जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र खेला 02 सदस्य
5– श्री [illegible] जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मेतली सदस्य
6– श्रीमती पुष्पादेवी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र 09 नाचनी सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्येया पौड़ी से तोली ग्वालगॉव मोटर र्माग के निर्माण परियोजना हेतु **2.975 हे0** वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग की लम्बाई 7.750 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु **2.975** हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी (अक्ष्यक्ष)
पिथौरागढ़।

पभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य) क्षेत्र

सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य) क्षेत्र

श्रीमती [illegible]
सदस्य जिला पंचायत
मेतली (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य) क्षेत्र

जिला पंचायत सदस्य
09नाचनी, पिथौरागढ़

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No 79

Dated- 19/07/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.875** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Askote (name of user agency) for **Payya To Toli Gwalgow** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Payya & Toli** village (s) in **Dharchula** Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.875** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No-79 Dated-19.01.2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.875 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Askote** (Name of user agency) for **Payya To Toli Gwalgow Motor Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Payya & Toli** village (s) in **Dharchula** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pi thoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dr. Vijay Kumar Jog Dande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 19.01.21 at time 12:00 AM at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 3.875 Hect. for the construction of for **Payy To Toli Gwalgow** Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 19.01.21

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev